सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE , कोचिन COCHIN- 682009

Willingdon Island, Kochi – 682 009

Tel: 0484-2668068/2668390. PBX: 0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.

परिपत्र CIRCULAR. No. 01 / 2016

विषय: सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति - दिनांक 29.03.2016 को आयोजित 9 बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the 9th meeting held on 29.03.2016—Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 9 बैठक दिनांक 29.03.2016 को दोपहर 3:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 9th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.30 PM on 29.03.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt:

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. S. Srimathi, Dy. Commissioner
3. Sanjay Bangartale, Asst. Commissioner
4. Debashish Paul, Asst. Commissioner
5. Jathin K A, Asst. Commissioner
6. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
7. Prasanth K C S., Superintendent of Customs
8. Gomathy G., Superintendent of Customs

सीमाशुल्क निकासी से संबंधित विभागों/एजेंसियों/पणधारियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया गया:

The departments/ agencies/ stake holders who are involved with customs clearance were represented by S/Shri:

1. Dr. C Unnikrishnan, Cochin Port Trust
2. R. S. Arora, Plant Quarantine Station
3. R. Sekar, Container Corporation of India Ltd, Cochin
4. J. Raghupathy, Central Drugs Standard Control Organisation
5. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
6. K T Jayarajan, Textile Committee.

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त और नए मुद्दों पर चर्चा की।

The Commissioner welcomed the members to the meeting and minutes of last meeting were taken up for discussion followed by fresh points.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त में दिये गए मुद्दों पर कार्रवाई

Action on points covered in the minutes of the previous meeting

बिंदु सं. 1 : नमूने भेजेने के संबंध में लॉजिस्टिक संबंधी दिक्कतें (दिनांक 25.02.2016 को आयोजित सीसीएफसी बैठक के कार्यवृत्त की बिंदु सं. 8)

Pt. No: 1: Logistical issues in forwarding of samples *(point No.8 in the minutes of CCFC meeting held on 25.02.2016)*

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि वस्त्र समिति के श्री जयराज ने उल्लेख किया कि दिनांक 25.02.2016 को आयोजित सीसीएफसी बैठक के कार्यवृत्त की बिंदु संख्या 8 के तहत यह विदित हो गया है कि समिति ने अपना कार्यालय सीआईसीएफएस-केएसआईसी परिसर, कलमश्शेरी में शुरू किया है लेकिन वर्तमान में वस्त्र समिति संग्रहण केंद्र चौथी मंज़िल, जीसीडीए कांप्लेक्स, मरीन ड्राइव स्थित उनके अपने परिसर में ही कार्यरत है और सीआईसीएफएस कलमश्शेरी में स्थान प्राप्त करने की औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

The chair informed members that Shri. Jayaraj of Textile committee pointed out that under point No.8 in the minutes of CCFC meeting held on 25.02.2016 it was given to understand that Textiles Committee has started its office at CICFS-KSIE premises at Kalamassery, but presently the Textiles Committee collection centre at Cochin is stationed at their own premises at 4th floor, GCDA Complex, Marine Drive only and the formalities of taking over the premises at CICFS Kalamassery is not yet completed.

उठाए गए नए मुद्दे Fresh Points taken up

बिंदु 2 : सिंगल विंडो परियोजना- एकीकृत घोषणा

Point 2: Single window Project – Integrated Declaration

"व्यापार करने में आसानी - सिगल विंडो " की शुरुआत के बारे में श्री भुवनचंद्रन, वैज्ञानिक, एन.आई.सी. ने दिनांक 01.04.2016 से शुरू किए गए सिंगल विंडो निकासी तंत्र की सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

On the introduction of "Ease of doing business – Single window" Shri. Bhuvanachandran, Scientist, NIC gave a power point presentation covering various aspects and features of single window clearance mechanism being introduced with effect from 01.04.2016.

अध्यक्ष महोदयन ने बताया कि इस संबंध में सीबीईसी परिपत्र 10/2016- CUS के क्रम में सार्वजनिक सूचना सं. 03/2016 जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो स्कीम के फायदों में व्यापार करने में आसानी, लागत में कमी, परिवर्द्धित पारदर्शिता, नकल और अनुपालन की लागत में कमी तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग शामिल हैं। भाग लेने वाले सभी सरकारी एजेंसियों जैसे पशु संगरोध, वनस्पति संगरोध, भेषज नियंत्रक एवं एफएसएसएआई की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो एक्सिम व्यापर को एक समान मंच प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय ने सिंगल विंडो प्रोजेक्ट कार्यान्वित होने के एक हफ्ते के बाद व्यापार जगत को इसके बारे में और प्रशिक्षण देने का भी आश्वास दिया।

Chair stated that Public Notice No. 03/2016 has been issued in this regard in continuation to CBEC Circular 10/2016-CUS.He said that the benefits of Single Window Scheme include ease of doing business, reduced costs, enhanced transparency, reduced

duplicity and cost of compliance and optimal utilisation of resources. Single Window provides a common platform to EXIM trade to meet requirements of all participating government agencies such as Animal Quarantine, Plant Quarantine, Drug Controller and FSSAI. The chair also assured to impart further training to the trade, one week after implementation of single window project.

<u>बिंदु सं.3 : मच्छली के नमूनों को संदर्भित करने के संबंध में दूसरे पोर्टों में अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणाली</u>

<u>Point No. 3: Practice followed in other ports with regard to reference of fish samples</u>

मच्छली के नमूनों के संदर्भित करने के संबंध में अन्य पोर्टों में अनुसरित की जाने वाली कार्यप्रणाली के संबंध में दिनांक 25.02.2016 को आयोजित पिछली सीसीएफसी बैठक में उठाए गए बिंदु के संदर्भ में एफएसएसएआई ने सूचित किया कि सभी अन्य पोर्टों जहां एफएसएसएआई मौजूद है, खाने योग्य मच्छली के नमूनों को आयात निकासी के लिए एफएसएसएआई को संदर्भित किया जाता है।

With reference to point raised in the previous CCFC meeting held on 25.02.2016 as to practice followed in other ports with regard to reference of fish samples, FSSAI had informed that in all other ports where FSSAI is present, Edible fish is referred to FSSAI for import clearance.

अध्यक्ष महोदयन ने सूचित किया कि सिंगल विंडो प्रक्रिया के शुरू होने के बाद भागीदार सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच/अनुमोदन केलिए सूचिबद्ध सीटीएच के अंतर्गत आने वाली सभी निकासी को आईसीईएस द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों के अधीन उक्त एजेंसी के लिए सीधे पंक्तिबद्ध किया जाएगा।

The chair informed that with introduction of single window procedures all clearance falling under CTH listed for examination/ approval by concerned participatory government agencies would be directed by ICES to queue of said agency subject to risk parameter fixed.

<u>बिंदु सं. 4 : मादक पेयों की निकासी</u>

<u>Point No. 4: Clearance of alcoholic beverages.</u>

अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई को सूचित किया कि सीमाशुल्क विभाग के पास मादक पेयों संबंधी ऐसे मामले आए हैं जिनमें ऐसे माल/उत्पादों जिनके नमूने कोच्ची में एफएसएसएआई द्वारा नहीं लिए गए हैं, को जेएनसीएच, नावा शेवा और आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली स्थित एफएसएसएआइ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदयने यह भी कहा कि जेएनसीएच, नावा शेवा और आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से आयातित ब्रांडेड मादक पेयों की कुछ खेप वहां की एफएसएसएआई से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेती हैं और उसके बाद बाण्ड के तहत पूर्व-बाण्ड निकासी के लिए कोच्ची भेजी जाती हैं। जब इन्हीं ब्राण्डों को कोच्ची में आयातित किया जाता है तो लेबल लगाने संबंधी कमियों का हवाला देते हुए एफएसएसएआई इनका नमूना नहीं लेती है। अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई के अधिकारियों से मामले पर विचार करने और देशभर में प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

Chair informed FSSAI that customs department had come across cases, involving alcoholic beverages, where goods/products for which samples are not drawn in Kochi by FSSAI, are getting No Objection Certificate from FSSAI at JNCH, Nhava Sheva and ICD, Tughlakabad, New Delhi. Chair also stated that some consignments of branded alcoholic beverages imported through JNCH, Nhava Sheva and ICD, Tughlakabad, New Delhi get NOC from FSSAI there and after that move under bond to Kochi for ex-bond clearance. When the same brands are imported through Kochi FSSAI does not draw samples citing labeling deficiencies. The chair requested the FSSAI officials to look into the matter and ensure uniformity of approach all over the country.

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि कोच्ची में कार्यरत अधिकारी इस संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हैं जिनका विभिन्न अदालतों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं में एकरूपता न होने से संबंधित मामले पर वे विचार करेंगे।

The FSSAI official informed that officers at Kochi were following the rules prescribed in this regards, which have been upheld by various courts of law. He stated the he would look into the matter regarding lack of uniform practice.

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in. के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल ccu@cochincustoms.gov.in/ ccucochin@gmail.com. के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in / ccucochin@gmail.com.

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.
तारीख Dated: 19.04.2016

//Attested//

(R.LATHA)
Superintendent (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise,Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner
All D.Cs & A.Cs
All members